भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1595

(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में मनरेगा

1595. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत देय धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल को मनरेगा के अंतर्गत धनराशि देने से मना किया गया है , यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान मनरेगा मजदूरी का ब्यौरा और औसत मजदूरी क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान मनरेगा के माध्यम से सृजित औसत श्रम दिवसों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का काम पाने वाले नामांकित परिवारों का ब्यौरा और संख्या क्या है; और

(च) मनरेगा के अंतर्गत समय पर मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के मजदूरी बजट में संशोधन पश्चात वृद्धि करने का प्रस्ताव , ग्रामीण विकास विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। इसके पश्चात , राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल राज्य को दिनांक 09.03.2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी करना रोक दिया गया।

पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में तथा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पारित आदेश के अनुसरण में , यह विभाग वर्तमान में आवश्यक कार्यपद्धतियों और प्रक्रियाओं को पुनः कार्यान्वित और परिष्कृत कर रहा है ताकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जा सके।

(ग): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी दर का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी दर (रु.)	200.71	208.84	216.57	235.63	252.68

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(घ): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार के औसत दिनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले रोजगार के औसत दिन	51.52	50.07	47.83	52.08	50.24

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ङ): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 100 दिनों का मजदूरी रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मजदूरी रोजगार के 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की कुल संख्या	71,97,090	59,14,761	35,96,873	44,94,352	40,70,322

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(च): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर तैयार किए गए निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
15 दिनों के भीतर जारी किए भुगतान का %	96.18	96.54	92.5	97.87	97.06

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

लोक सभा में दिनांक 09.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1595 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी	सामग्री	प्रशासन
1	आंध्र प्रदेश	399.97	556.32	27.57
2	अरुणाचल प्रदेश	12.80	143.69	0.88
3	असम	0.33	404.27	53.26
4	बिहार	9.75	396.77	14.83
5	छत्तीसगढ़	3.28	103.62	11.96
6	गोवा	0.00	0.43	0.02
7	गुजरात	59.88	21.33	9.76
8	हरियाणा	0.32	42.67	0.37
9	हिमाचल प्रदेश	1.49	68.17	5.63
10	जम्मू और कश्मीर	6.10	192.00	17.95
11	झारखंड	7.58	298.71	4.90
12	कर्नाटक	6.30	575.98	37.63
13	केरल	329.42	186.80	50.99
14	लद्दाख	0.64	2.47	0.11
15	मध्य प्रदेश	123.48	643.14	84.74
16	महाराष्ट्र	10.78	684.30	32.56
17	मणिपुर	1.76	154.19	4.28
18	मेघालय	4.93	58.72	1.09
19	मिजोरम	13.48	0.25	1.33
20	नागालैंड	12.74	87.82	0.00
21	ओडिशा	9.41	227.12	2.23
22	पंजाब	1.71	113.32	1.59
23	राजस्थान	4.45	827.74	8.95
24	सिक्किम	0.10	2.43	0.03
25	तमिलनाडु	225.71	622.85	35.55
26	तेलंगाना	0.99	500.08	20.40
27	त्रिपुरा	1.35	144.40	27.13

28	उत्तर प्रदेश	17.50	1042.84	96.14
29	उत्तराखंड	1.51	51.17	3.19
30	पश्चिम बंगाल	**	**	**
31	अंडमान और निकोबार	0.00	0.03	0.00
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1.29	0.02	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	16.99	0.00	0.31
कुल		**1286.04**	**8153.65**	**555.39**

टिप्पणी: सामग्री घटक के लिए पिछले वर्ष की लंबित देयता और डाटा पीएफएमएस/एमआईएस के अनुसार है।

** इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण , पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के मजदूरी बजट में संशोधन पश्चात वृद्धि करने का प्रस्ताव , ग्रामीण विकास विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। इसके पश्चात , राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल राज्य को दिनांक 09.03.2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी करना रोक दिया गया।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार , पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लंबित देनदारी (08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें मजदूरी घटक के तहत ₹1457.22 करोड़, सामग्री घटक के तहत ₹1607.68 करोड़ और प्रशासनिक घटक के तहत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। इस देनदारी की स्वीकार्यता का केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।